उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपत्र सं0सी –14 /तक0प्रको0/ड्रिप–स्प्रिंकलर/17–18 दिं0–26.04.2017

समस्त शाखा प्रबन्धक,
उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

दिन–प्रतिदिन जल स्तर में कमी तथा जल की आवश्यकता को देखते हुए सूक्ष्म सिंचाई पद्यति के माध्यम से पौधों की जड़ों को सीधे विभिन्न प्रकार के संयत्रों, पाईप, तकनीकों को अपनाकर उनकी उम्र, आवश्यकता के अनुसार जल उपलब्ध कराकर गुणवत्तायुक्त उत्पादन, जल व ऊर्जा की बचत में योगदान किया जाता है। अतः यदि कृषक अपनी फसल की सिंचाई सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों जैसे ड्रिप व स्प्रिंकलर को अपना कर करता है तो अपनी लागत में कमी लाने के साथ–साथ आय में भी वृद्वि करते हुये प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। उक्त पद्यति से सिंचाई करने पर कृषक को निम्न लाभ होते हैः–

ड्रिप/स्प्रिंकलर सिचाई पद्यति से लाभः

- पानी केवल पौधें की जड़ों में देने से पानी की निश्चित बचत।
- पानी देने के लिए मेड़ व नालियॉ बनाने की आवश्यकता नही।
- पैदावार तथा फसल की गुणवत्ता में अत्याधिक वृद्वि।
- केवल जड़ों में पानी देने से खरपतवार पर प्रभावी नियंत्रण।
- पौधों की जड़ों में सिंचाई के साथ ही उर्वरक एवं कीटनाशकों के प्रयोग से परम्परागत छिड़काव पद्वति की तुलना में उर्वरक/रसायन की बचत।
- ड्रिप सिंचाई पद्यति से लवणीय भूमि में भी बागवानी संभव।

- ऊंजी–नीची(ऊबड़–खाबड़) जमीन में पौधों की सिंचाई भलीभॉति संभव।
- बीमारी एवं कीड़े–मकोड़ों की समस्या पर नियंत्रण।
- सिंचाई कार्य में व्यय होने वाली समय की बचत के फलस्वरूप अन्य कार्यो में समय का उपयोग।

ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई हेतु उपयुक्त/चिन्हित फसलें:

(अ) ड्रिप सिंचाई:

1. **फल उद्यान:** आम, अमरूद्व, आंवला, नींबू/बेर/बेल, पपीता एवं केला आदि के स्थापित बागों अथवा नवीन रोपित उद्यानों को आच्छादित किया जा सकता है। ड्रिप सिंचाई पद्वित को अधिकतम 5 वर्ष तक के रोपित बागों में स्थापित करने को प्राथमिकता दिया जाये।
2. **सब्जियॉ:** टमाटर, बैंगन, भिण्डी, मिर्च, शिमला मिर्च, गोभीवर्गीय, कददूवर्गीय एवं अन्य सभी सब्जियॉ।
3. **अंलकृत एवं औषधीय–संगध पौध:** रजनीगंघा , ग्लेडियोलस, गुलाब, औषधीय एवं सगंध पौधें तथा अन्य क्लोज स्पेसिंग क्राप्स आदि।
4. **आलू।**

(ब) स्प्रिंकलर सिंचाई:

बागवा**नी** फसलों में माइक्रो, मिनी,पोर्टेबल, सेमी परमानेन्ट एवं रेनगन प्रकार के स्प्रिंकलर लगाये जा सकते है। स्प्रिंकलर सिंचाई की स्थापना मुख्य रूप से मटर,आलू, गाजर एवं अन्य व्यावसायिक पत्तेदार सब्जियों एवं कृषि फसलों में आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये किया जा सकता है।

योजना के लाभार्थी एवं मात्राकरण:

इस योजना का लाभ सभी वर्ग के कृषकों को अनुमन्य होगा। योजनान्तर्गत न्यूनतम 50% मात्राकरण लघु एवं सीमान्त कोटि के कृषकों के लिए, जिसमें 30% महिला लाभार्थी होगें, किया जायेगा ताकि प्रदेश के अधिक से अधिक किसानों तक इसका लाभ पहुॅचाया जा सके।

ड्रिप सिंचाई पद्वति की स्थापना हेतु इकाई लागतः

प्रधान कार्यालय द्वारा परिपत्र सं0 सी–55/तक0प्रको0/2015–16, दिनांक 29.8.2016 द्वारा बैंक में संचालित योजनाओं में विभिन्न उददेश्यों हेतु इकाई लागत निर्धारित कर प्रेषित की गई है। संदर्भित योजनान्तर्गत अनुदान की गणना भारत सरकार द्वारा निर्धारित नारमेटिव कॉस्ट के अनुसार की जायेगी एवं योजना कार्यान्वयन के समय फसल की स्पेसिंग के अनुसार भारत सरकार द्वारा अधिकतम अनुमन्य इकाई लागत की सीमा का निर्धारण निम्न प्रकार किया गया हैः–

पौधों से पौधों की दूरी	1 हेक्टेयर	2 हैक्टेयर	3 हैक्टेयर	4 हेक्टेयर	5 हैक्टेयर
अ– अधिक दूरी वाली फसलें					
8 मी0 एवं अधिक	23500	38100	59000	74100	94200
4 मी0 से 8 m	33900	58100	89300	113200	142400
2 मी0 से <4 मी0	58400	108000	161800	220600	271500
ब– कम दूरी वाली फसलें					
1.2 मी0 से <2 मी0	85400	161300	243400	332800	412800
<1.2 मी0	100000	193500	292100	399400	495400

योजनान्तर्गत अनुदान–

उपरोक्त योजनान्तर्गत कृषकों को दिये जाने वाला अनुदान की सीमा चूँकि वर्तमान में अनुदान का भुगतान सीधे कृषक के खाते में दिया जायेगा जिससे सम्बंधित शासनादेश संख्या–811 दिनांक 23.7.2014(संलग्नक–1) तथा डी0वी0टी0 प्रक्रिया से सम्बधित कार्यालय ज्ञाप संख्या– कम्पयूटर–270 दिनांक 4.11.2015 (संलग्नक–2)संलग्न कर प्रेषित की जा रही है जिसके आधार पर अनुदान सम्बंधी कार्यवाही की जाय। परन्तु उक्त योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु चयनित लाभार्थी/कृषकों को पंजीकृत निर्माता फर्मो अथवा

उनके अधिकृत डीलर/डिस्ट्रीबूयूटर्स में से किसी भी फर्म को स्वेच्छा से चयनित कर कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिये।(निर्माता फर्मो की सूची संलग्न शासनादेश सं0–79/58–2016–60/2006 दिनांक–25.2.2016) (संलग्नक–3)

<u>निर्धारित कार्यक्रमः</u>

प्रदेश में औद्याानिक फसलों में माइक्रों इरीगेशन सिस्टम को बढ़ावा देने हेतु आम, अमरूद्व,लीची, आंवला, नींबू, वर्गीय फल/बेर/शरीफा अनार, केला, शाकभाजी फसलों यथा टमाटर, आलू, बैंगन, भिण्डी, मिर्च, गोभीवर्गीय सब्जियॉ कद्दूवर्गीय सब्जियॉ, पुष्पीय पौधे जैसे–रजनीगंधा, गुलाब, ग्लैडियोलस, औषधीय एवं संगध फसलों, अन्य उपयुक्त क्लोज स्पेसिंग क्राप्स में उपर्युक्त निर्धारित स्पेसिंस के लिए ड्रिप सिंचाई पद्वति को कृषक प्रेक्षेत्रों पर स्थापित कराया जाना है। साथ ही, औद्यानिक फसलों यथा–मटर, आलू एवं अन्य पत्तेदार फसलों में यथा आवश्यक स्प्रिंकलर सिंचाई पद्वति की स्थापना निम्नांकित विवरण के अनुसार की जायेगीः–

(अ) ड्रिप सिंचाईः

1. आम, आवंला, लीची एवं अन्य फसलें (8 मी0 से अधिक पौध से पौध दूरी)

    मिशन फार इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट आफ हार्टीकल्चर, आर0 के0वी0वाई0,बुदेंलखण्ड एवं विंध्य क्षेत्र में औद्यानिक विकास तथा अन्य कार्यक्रमों में स्थापित नवीन उद्यानों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत पर ड्राप मोर क्राप के माइक्रो इरीगेशन से सम्बद्व(डवटेल) करते हुए प्राथमिकता पर ड्रिप सिंचाई पद्वति को स्थापित किया जाये जिसके लिए औसतन 8 मीटर तथा अधिक पौध से पौध की दूरी निर्धारित है। पुराने स्थापित बागों में भी इसकी स्थापना संभव है। हाई डेन्सिटी प्लान्टेशन में भी स्पेसिंग के अनुसार ड्रिप स्थापना की कार्यवाही आवश्यकतानुसार कराई जाये। इस निमित्त इकाई लागत के सापेक्ष डी0पी0ए0पी0 विकास खण्डों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित इकाई लागत के सापेक्ष लघु सीमान्त एवं गैर लघु सीमान्त कृषकों को क्रमशः 76% एवं

62% की दर से तथा नॉन डी0पी0ए0पी0 विकास खण्डों /क्षेत्रों में लघु सीमान्त एवं गैर लघु सीमान्त कृषकों को क्रमशः 67% तथा 56% की दर से अनुदान अनुमन्य होगा। शेष धनराशि कृषक अंश के रूप में कृषकों द्वारा स्वंय अथवा बैंक से ऋण प्राप्त करके वहन की जायेगी।

2. अमरूद्व, नींबू वर्गीय/बेर/बेल शरीफा, अनार एवं अन्य फसलें (4 मी0 से अधिक किंतु 8 मी0 से कम पौध से पौध दूरी)

मिशन फार इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट आफ हार्टीकल्चर, आर0 के0वी. आई. बुंदेलखण्ड एवं विंध्य क्षेत्र में औद्याानिक विकास तथा अन्य कार्यक्रमों में स्थापित नवीन उद्यानों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत पर ड्राप मोर क्राप के माइक्रो इरीगेशन से सम्बद्व(डवटेल) करते हुये प्राथमिकता पर डिप सिंचाई पद्वति को विकसित किया जाय जिसके लिये औसतन 4 मी0 से अधिक किंतु 8 मी0 से कम पौध से पौध की दूरी निर्धारित है। 5 वर्ष तक के रोपित पुराने बागों को भी चयनित किया जा सकता है। सघन बागवानी के रूप में स्थापित अमरूद्व तथा नींबू वर्गीय फलों में भी यह पद्यति स्थापित किया जाय। अमरूद्व, नींबू वर्गीय तथा 4 मीटर अधिक किंतु 8 मीटर से कम पौध से पौध की दूरी वाले अन्य उद्यानो में ड्रिप सिंचाई पद्वति की स्थापना पर लागत के सापेक्ष डी0पी0ए0पी0 विकास खण्डों में लधु सीमान्त एवं गैर लघु सीमान्त कृषकों भारत सरकार द्वारा निर्धारित इकाई लागत के सापेक्ष अधिकतम क्रमशः 76 प्रतिशत एवं 62 प्रतिशत की दर से नान डी0पी0ए0.पी0. विकास खण्डों/क्षेत्रों में लघु सीमान्त एवं गैर लघु सीमान्त कृषकों को क्रमशः 67 प्रतिशत एवं 56 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य होगा। शेष धनराशि कृषक अंश के रूप में कृषकों को स्वंय अथवा बैंकों से ऋण प्राप्त कर वहन करनी होगी।

3. केला, पपीता एवं अन्य फसलें (1.2 मी0 से अधिक किंतु 2 मी0 से कम पौध से पौध दूरी) प्रदेश के चिन्हित उपयुक्त जनपदों में केला क्षेत्र विस्तार के कार्यक्रम औद्यानिक मिशन, आर0 के0 वी0वाई0, बुंदेलखण्ड

एवं विंध्य क्षेत्र में औद्यानिक विकास तथा अन्य कार्यक्रमों में लिये जा रहे है, जिनकी गुणवत्तायुक्त उत्पादन एवं सुनिश्चित/आवश्यकता परक सिंचाई व्यवस्था हेतु ड्रिप सिंचाई पद्वति की स्थापना बहुपयोगी होगी। औसतन 1.5 X1.5 मीटर की दूरी आगणित करते हुऐ प्राविधान किया गया है जो प्रजाति एवं भू–जलवायु के अनुसार कम या अधिक हो सकती है। पद्वति की स्थापना हेतु इकाई लागत के सापेक्ष डीपी0ए0पी0 विकास खण्डों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित इकाई लागत के सापेक्ष लघु/सीमान्त एंव गैर लघु सीमान्त कृषकों को अधिकतम क्रमशः 76 प्रतिशत एवं 62 प्रतिशत की दर से तथा नान डीपी0ए0पी0 विकास खण्डों/क्षेत्रों में 67 प्रतिशत एवं 56 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य होगा तथा शेष धनराशि कृषक अंश के रूप में कृषकों द्वारा स्वंय अथवा बैंकों से ऋण प्राप्त कर वहन करनी होगी।

4.आलू, शाकभाजी एवं अन्य क्लोज स्पेसिंग क्राप्स(1.2 मी0 से कम पौध से पौध दूरी)इस कोटि में नजदीकी रोपण दूरी वाले शाकभाजी, मसाला, अंलकृत/शोभाकार एवं औषधीय पौधे सम्मिलित हो सकते है, जो भू–जलवायु क्षेत्र एवं किसानों की मांग के अनुसार स्थापित किये जायेगें। इस श्रेणी में उदाहरण के तौर पर टमाटर, आलू, बैंगन, भिण्डी, मिर्च, शिमला मिर्च, गोभीवर्गीय सब्जियां, कद्दूवर्गीय सब्जियां, रजनीगंधा, ग्लैडियोलस अथवा अन्य पौधे सम्मिलित हो सकते है, जिनके गुणवत्तायुक्त एवं सुनिश्चित सिंचाई व्यवस्था हेतु ड्रिप सिंचाई स्थापित करने की आवश्यकता है। उक्त फसलों के लिए निर्धारित इकाई लागत के सापेक्ष डी0पी0ए0पी0 विकास खण्डों के लिए सीमान्त एवं गैर लघु सीमान्त कृषकों को अधिकतम क्रमशः 76 प्रतिशत एवं 62 प्रतिशत की दर से तथा नान डी0पी0ए0पी0 विकास खण्डों/क्षेत्रों के लिए लघु सीमान्त तथा गैर लघु सीमान्त कृषकों के लिए इकाई लागत के सापेक्ष 67 प्रतिशत एवं 56 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य होगा। शेष धनराशि कृषक अंश के रूप में कृषकों द्वारा स्वयं के सोत्र से अथवा बैंकों से ऋण प्राप्त कर वहन करनी होगी।

ब)**<u>स्प्रिंकलर सिंचाई</u>**:

इस पद्यति का चिन्हांकन विशेष रूप से मटर, आलू, पत्तेदार सब्जियें एवं उपयुक्त बागवानी तथा कृषि फसलों के लिए योजना में किया गया है जिन्हें बढ़ावा देकर औद्याानिक एवं कृषि फसलों में मानक के अनुसार सिंचाई आवश्यकताओं को पूर्ण कर गुणवत्ता एवं उत्पादन में वृद्वि की जा सकती है। स्प्रिंकलर सिंचाई विधि के अन्तर्गत माइक्रो स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर, पोर्टेबल, सेमी परमानेंट एवं लॉर्ज वाल्यूम(रेन गेन)विधि से सिंचाई का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस पद्यति की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित इकाई लागत के सापेक्ष डी0पी0ए0पी0 विकास खण्डों के लिए निर्धारित इकाई लागत के सापेक्ष लघु सीमान्त एवं गैर लघु सीमान्त कृषकों को अधिकतम क्रमशः 76 प्रतिशत एवं 62 प्रतिशत की दर से तथा नान डी0पी0ए0पी0 विकास खण्डों/क्षेत्रों के लिए लघु सीमान्त तथा गैर लघु सीमान्त कृषकों के लिए इकाई लागत के सापेक्ष 67 प्रतिशत एवं 56 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य होगा। शेष धनराशि कृषक अंश के रूप में कृषकों द्वारा स्वंय के श्रोत्र से अथवा बैंकों से ऋण प्राप्त कर वहन करती होगी। (संलग्नक–5)

<u>विभिन्न फसलों के लिए सुझाया गया प्रणाली चयन</u>

क्र0सं0	फसल	प्रणाली	अभियुक्ति
(अ) बागवानी फसलें			
1	आम,आंवला,लीची,अमरूद,नीबू वर्गीय बेर, बेल, शरीफा, अनार, पपीता आदि।	ड्रिप सिंचाई पद्धति	पौधों से पौधों की दूरी अनुंसार अधिक दूरी वाले एवं कम दूरी वाले प्रणाली का चयन किया जाये।
2	केला	ड्रिप सिंचाई पद्धति	जब बीच में फसल उगाई जाती है, यदि इसकी पानी की जरूरत को केले के साथ समायोहित किया जा सकता है, स्प्रिंकलर को चुना जाना चाहिए। यदि उपर्युक्त नियंत्रण सहित दोनों फसलों के लिए ड्रिप का प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि खरीफ के साथ अल्प कालीन फसल ली जाती है, बीच में उगाई जाने वाली फसल के लिए अलग

			से एमआई प्रमाणाली की जरूरत नहीं होती।
3	आलू	ड्रिप/मिनी स्प्रिकलर सिंचाई पद्धति	जल की कमी के आधार पर, यदि आलू को अनाज वाली फसल के साथ क्रम से उगाया जाता है, स्प्रिंकलर का प्रयोग किया जा सकता है। यदि इसे मूँगफली जैसी फसल के बाद उगाया जाता है, पहली फसल के लिए प्रयुक्त प्रणाली को बाद वाली फसल के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए।
4	अन्य फसल के साथ उद्यान फसल	ड्रिप/मिनी स्प्रिकलर सिंचाई पद्धति	मुख्य और अंतः फसल की पानी जरूरत के आधार पर यदि अल्पकालीन फसले जैसे सब्जियों/ अल्प संतृप्त दालें खरीफ के दौरान उगाई जाती हैं, अंतः फसल (इंटरक्राप) के लिए अतिरिक्त प्रणाली मुहैया नहीं कराई जाती।
5	प्याज/लहसुन/धनिया और अन्य छोटी संतृप्त फसलें	मिनी स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति	यदि इन फसलों को किसी ड्रिप प्रति क्रियाशील नगदी फसल से पहले अथवा बाद में उगाया जाता है, तब दोनों फसलों के लिए समान प्रणाली (अभिमानतः इन-लाइन उत्सर्जक प्रणाली) को प्राथमिकता दी जाती है। यदि इन फसलों का अनाज फसलों के पहले या बाद में उगाया जाता है तो फब्बारा सिंचाई को प्राथमिकता दी जाती है।
6	सब्जियॉ जेसे टमाटर,बैगन,भिण्डी आदि और करेले ज्यादा अंतराज जैसे खीरा और अंगूर	ड्रिप सिंचाई पद्धति	
7	नर्सरियां	माइक्रो/मिनी स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति	
(ब) कृषि फसलें			
8	अनाज जैसे गेहूँ, मक्का	स्प्रिंकलर	

	बाजरा, ज्वार	सिंचाई पद्धति	
9	मूँगफली	ड्रिप/ स्प्रिंकलर मिनी सिंचाई पद्धति	जल की गैर मौजूदगी और हवादार परिस्थितियों में उच्च वायु गति वाली व्यवहार्य नहीं है।
(स) गन्ना फसलें			
10	गन्ना पंक्तिबद्ध रूप में अंतः फसल के साथ	ड्रिप/मिनी स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति	यदि गन्ने और बीच में उगाई जाने वाली ुसल की पानी की जरूरत में ज्यादा अंतर नहीं है, मिनी स्प्रिंकलर का प्रयोग किया जा सकता है। खरीफ के दौरान बीच में उगाई जाने वाली फसल अगर अल्पकालीन है तो अतिरिक्त प्रणाली नहीं दी जायेगी।

योजना का कार्यक्षेत्रः

यह योजना सिंचित(एन.डी.पी.) व असिचिंत(डी0पी0ए0पी0) दोनों क्षेत्रों हेतु लागू होगी, जिसमें सिंचित क्षेत्रों के अर्न्तगत आने वाले अति दोहित विकास खण्ड, क्रिटिकल विकास खण्ड तथा सेमी क्रिटिकल विकास खण्ड तथा डी0पी0ए0पी0 विकास खण्ड जिसमें संलग्न सूची के अनुसार विकास खण्ड सम्मिलित किये गये है, लागू की जायेगी। योजना का मुख्य उददेश्य जल संचयन व ''पर ड्राप मोर क्रॉप'' है। सूक्ष्म सिंचाई कार्यक्रमों का क्रियान्वयन 75 प्रतिशत बागवानी फसलों में एवं न्यूनतम 25 प्रतिशत कृषि फसलों में सुनिश्चित किया जायेगा, योजना का कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश के वे जनपद है जो डी0पी0ए0पी0, अति दोहित, क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल, गंगा बेसिन एवं आर0 ए0 डी0 क्लेस्टर से आच्छादित है। योजना का लाभ प्राथमिकता पर संहत एवं भू–जल उपलब्धता एवं संचयन को दृष्टिगत रखते हुये प्राथमिकता पर प्रदेश के 15 जनपदों में चिन्हित 60 डी0पी0ए0.पी0 विकास खण्डों, 21 जनपदों में चिन्हित 111 अति दोहित विकास खण्डों, 24 जनपदों में चिन्हित 68 क्रिटिकल विकास खण्डों, 26 जनपदों में चिन्हित 82 सेमी क्रिटिकल, गंगा बेसिन से आच्छादित एवं आई0ए0डी0 क्लस्टर वाले जनपदों को केन्द्रित करते हुये क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है। जनपदवार डी0पी0ए0पी0, अति दोहित, सेमी क्रिटिकल, क्रिटिकल एवं

आर0 ए0डी0 क्लाटर वाले विकास खण्डों का विवरण वर्णित है, जो योजना के प्राथमिकता वाले क्षेत्र होगें।(संलग्न–4)

<u>लाभार्थी का चयन</u>–

कृषि अनुभाग–3 उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–325/12–3–2016–100 (10)/2015 दिनांक 29.02.2016 (संलग्नक–5) द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद में स्तरीय कियान्वयन समिति, का गठन किया गया है, जिनके द्वारा जनपद स्तर पर योजना का कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण का कार्य सुनिश्चित किया जायेगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत पर ड्राप मोर क्रॉप के माइक्रो इरीगेशन योजना के जनपद स्तर पर कार्यान्वय, नियोजन एवं अनुश्रवण हेतु जनपदीय उद्यान अधिकारी उत्तरदायी होगें। उनके द्वारा ही बैंक ऋण हेतु इच्छुक लाभार्थी कृषकों प्रोत्साहित करते हुये उनके आवेदन पत्र बैंक को समायन्तर्गत अग्रसारित करते हुये प्रेषित किये जायेगें। किसी भी कृषक को वित्तीय सहायता प्रति लाभार्थी 5 हेक्टर क्षेत्रफल तक ही सीमित रहेगी। जिन लाभार्थियें ने माइक्रों इरीगेशन योजनान्तर्गत अनुदान का लाभ पहले प्राप्त कर लिया हो, उसी भूमि पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना पर अगले 10 वर्ष तक अनुदान देय नहीं होगा एवं लाभार्थी का स्वामित्व क्षेत्र ड्रिप/स्प्रिंकलर प्रणाली के दायरे में होना चाहियें जो एक समीपस्थ क्षेत्र या अलग अलग स्थानों में स्थित हो सकता है जिसके लिये वित्तीय सहायता अधिकतम 5 हेक्टयर तक ही दी जायेगी।

<u>योजना के लक्ष्य–</u>

वित्तीय वर्ष 2017–18 में शाखावार न्यूनतम लक्ष्य अति दोहित, क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल डी0पी0ए0पी0 एवं आ0ए0डी0 क्लास्टर वाले विकास खण्डों को दृष्टिगत रखते हुये रखे गये है जो संलग्न है (संलग्नक–6)

उपरोक्त योजनावार ऋण वितरण बैंक के नियमानुसार किया जायेगा एवं योजनान्तर्गत वितरित ऋण की सूचना निर्धारित प्रारूप सपर समय से प्रधान कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

अतः उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रधान कार्यालय द्वारा दिये गये न्यूनतम लक्ष्यों की शत प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करें।

ह0–

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

(श्रीकांत गोस्वामी)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीहेतु प्रेषित–

1.समस्त जनपदीय प्रबन्धक, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र की प्रति अपने जनपद की समस्त शाखा प्रबन्धकों को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2.उप महाप्रबंधक(आई0टी0 सेल) प्रधान कार्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र को बैंक की समस्त जनपदीय शाखाओं को ई–मेल द्वारा प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

ह0–

(अजय पाल सिंह)
महाप्रबंधक(तक0)